नईदुनिया

संपादकीय

पोर्टल चमक रहा है, पर क्लासरूम टपक रहा है - शिक्षा का दोहरा चेहरा

जब मंचों से गुरुओं के सम्मान की बात हो रही थी, तब जमीन पर सरकारी स्कूलों की हकीकत कुछ और ही कहानी कह रही थी। एक तरफ एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर सब कुछ हरा-हरा दिखाया जा रहा था, तो दूसरी तरफ गांवों में बांस-बल्लियों और पेड़ के नीचे बच्चे पढ़ने को मजबूर थे। यही कथनी और करनी का अंतर है, जो सालों से शिक्षा व्यवस्था को खोखला कर रहा है।

भोपाल, इंदौर, ग्वालियर सहित प्रदेश के 840 स्कूलों से ली गई ग्राउंड रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सब व्यवस्थित है। दावा हवा-हवाई निकला। कई स्कूलों में आज भी एक शिक्षक के भरोसे पूरा स्कूल चल रहा है। वह पढ़ाएगा, रजिस्टर भरेगा या मध्याह्न भोजन की व्यवस्था देखेगा, यह किसी को नहीं पता। कई स्कूलों में शिक्षक पर पढ़ाई के साथ-साथ यू-डाइस, समग्र आईडी और बच्चों को घर से बुलाने तक की जिम्मेदारी है। वह सुबह हाजिरी लेता है, फिर भोजन बनवाता है, कागज पूरे करता है और अंत में समय बचा तो पढ़ा भी देता है। ऐसे में गुणवत्ता की उम्मीद कैसे की जाए? जब शिक्षक ही बाबू बन जाएगा तो शिक्षा कैसे बचेगी?

कहीं मंदिर के दालान में कक्षा लग रही है, तो कहीं पेड़ के नीचे। इंदौर के महू-मानपुर रोड पर कवच संस्था ने झोपड़पट्टी के 40 से ज्यादा बच्चों के लिए बांस-बल्लियों और ग्रीन नेट से अस्थायी स्कूल बनाया है। यह तस्वीर दो बातें कहती है। एक तो यह कि समाज में आज भी शिक्षा के लिए जज्बा है। दूसरा यह कि सरकारी सिस्टम की नाकामी को अब समाज अपने जुगाड़ से भर रहा है।

सरकार ने युक्तियुक्तकरण के नाम पर बड़ा अभियान चलाया था। कहा गया था कि जहां शिक्षक ज्यादा हैं, वहां से कम वाले स्कूलों में भेजे जाएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि शहरों में आज भी 20 बच्चों पर एक शिक्षक है, तो आदिवासी जिलों में 35 बच्चों पर एक शिक्षक है। सिंगरौली, झाबुआ और छतरपुर जैसे जिलों में स्थिति सबसे खराब है। इससे साफ है कि यह पूरी कवायद केवल कागजों पर हुई है।

क्यों बनता है यह अंतर? क्योंकि निगरानी का सिस्टम ही फेल है। पोर्टल पर डेटा भर दिया जाता है और ऊपर बैठा अधिकारी बिना जांच के ओके कर देता है। कोई जमीन पर जाकर नहीं देखता कि स्कूल में छत है या नहीं, बच्चे बैठे हैं या नहीं। गांव के लोगों की भागीदारी भी लगभग खत्म हो गई है। पहले पालक-शिक्षक संघ की बैठकें होती थीं, अब वह भी औपचारिकता बन गई हैं। हम शिक्षा को आज भी खर्च मानते हैं, निवेश नहीं। इसीलिए भवन मरम्मत के लिए पैसा नहीं है, शौचालय टूटे हैं, बिजली नहीं है, लेकिन प्रचार के लिए पैसा है। जब तक सोच नहीं बदलेगी, तब तक स्कूल नहीं बदलेंगे।

हर जिले में पोर्टल के डेटा का हर तीन महीने में भौतिक सत्यापन हो और वह भी किसी बाहरी एजेंसी से, न कि उसी विभाग से। शिक्षक को गैर-शैक्षणिक कामों से मुक्त करना होगा, ताकि वह कक्षा पर ध्यान दे सके। स्थानीय समुदाय को जोड़ना होगा। इंदौर की तरह जो संस्थाएं अच्छा काम कर रही हैं, उन्हें प्रोत्साहित करना होगा और उनके मॉडल को सरकारी स्कूलों में अपनाना होगा।

शिक्षक दिवस केवल फूल-माला का दिन नहीं है। यह आत्ममंथन का दिन है। अगर आज भी हमारे बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ेंगे और पोर्टल पर सब ओके दिखेगा, तो यह सबसे बड़ा धोखा होगा। कथनी और करनी के इस अंतर को मिटाना ही गुरुओं के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वरना हम हर साल शिक्षक दिवस मनाते रहेंगे और शिक्षा हर साल रोती रहेगी।

आजकल

ऑडिट के नाम पर खानापूर्ति, गोलीकांड ने खोली जेलों की सुरक्षा की पोल

प्रदेश भर की जेलों की सुरक्षा की पोल तब खुली, जब रायसेन जिला जेल में गोलीकांड हो गया। हत्या के आरोप में बंद एक बंदी ने जेल से भागने की कोशिश में प्रहरी को देसी तमंचे से गोली मार दी। गोली प्रहरी की कमर के पिछले हिस्से में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना बताती है कि जेल के भीतर हथियार कैसे पहुंचा और सुरक्षा व्यवस्था कहां सो रही थी।

जुलाई में एक से 15 जुलाई तक प्रदेश भर की जेलों का सेफ्टी ऑडिट करवाया गया था। इस दौरान जेल सुरक्षा के हर पहलू की गंभीरता से जांच की गई और जेल अधीक्षकों ने मुख्यालय को शपथपत्र देकर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त होने का भरोसा भी दिया। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या सेफ्टी ऑडिट के नाम पर केवल खानापूर्ति की गई? प्रदेश में 11 केंद्रीय जेल, 41 जिला जेल, 75 उप जेल और आठ खुली जेल हैं। इन सभी में सुरक्षा का एक समान और प्रभावी पैमाना होना चाहिए।

प्रदेश की कई जिला जेलों में दीवार के बाहर से नशे की सामग्री फेंके जाने के मामले सामने आते रहे हैं। इसके बाद जेल मुख्यालय ने दीवारों के आसपास नियमित पेट्रोलिंग और तैनाती के निर्देश दिए थे। लेकिन रायसेन गोलीकांड में जेल अधिकारियों का ही कहना है कि तमंचा और कारतूस दीवार के उस पार से फेंका गया। यदि ऐसा है तो पेट्रोलिंग टीम क्या कर रही थी? और यदि हथियार जेल के भीतर से बंदी तक पहुंचा, तो भ्रष्टाचार और मिलीभगत कितनी गहरी है?

सबसे गंभीर बात यह है कि यह घटना सेफ्टी ऑडिट के करीब डेढ़ माह बाद हुई। सवाल यह है कि क्या अफसरों ने केवल फोटो खिंचवाकर रिपोर्ट भेज दी और मुख्यालय ने बिना भौतिक सत्यापन के उसे स्वीकार कर लिया? ऑडिट का उद्देश्य कागज पूरे करना नहीं, बल्कि खामियों को पहचानकर उन्हें दूर करना होना चाहिए।

रायसेन की घटना जेल प्रशासन के लिए गंभीर चेतावनी है। यदि दीवार के बाहर से नशा और हथियार जेल के भीतर पहुंच रहे हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था पर फिर से गंभीरता से विचार करना होगा। सरकार को सेफ्टी ऑडिट की दोबारा स्वतंत्र जांच करवानी चाहिए और लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वरना आज का तमंचा कल इससे बड़े खतरे का कारण बन सकता है।

रक्षा कूटनीति के नए अध्याय में भारत मित्र देशों के साथ बढ़ते सहयोग की ओर

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को नई दिल्ली में रक्षा कूटनीति पर तैयार किए गए रक्षा दस्तावेज का विमोचन किया। यह दस्तावेज अगले दस वर्षों के लिए भारत की वैश्विक रक्षा साझेदारी की दिशा तय करता है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि भारत अब केवल हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि सुरक्षा का प्रदाता और सहयोग का केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। यह सोच भारत की विदेश नीति और रक्षा नीति के बदलते स्वरूप को दर्शाती है।

आज की दुनिया में कोई भी देश अकेले अपनी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकता। आतंकवाद, समुद्री डकैती, साइबर हमले और बदलते भू-राजनीतिक समीकरणों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सुरक्षा सामूहिक प्रयास से ही संभव है। भारत इस सच्चाई को समझता है। इसलिए वह अपने मित्र देशों के साथ रक्षा क्षेत्र में सर्वोत्तम तौर-तरीकों को साझा करने और सेनाओं के बीच आपसी तालमेल एवं परिचालन क्षमता को मजबूत करने पर जोर दे रहा है।

पिछले कुछ वर्षों में भारत ने कई मित्र देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यासों की संख्या बढ़ाई है। चाहे वह अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास हो या फ्रांस के साथ शक्ति अभ्यास या फिर आसियान देशों के साथ समुद्री अभ्यास हो, इन अभ्यासों से न केवल सेनाओं के बीच समझ बढ़ती है, बल्कि आपात स्थिति में एक साथ काम करने की क्षमता भी विकसित होती है। रक्षा दस्तावेज में इस बात पर जोर दिया गया है कि साझेदारी को मजबूत करने के लिए नियमित संवाद और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना होगा।

मित्र देशों के साथ सहयोग का एक महत्वपूर्ण पहलू रक्षा उत्पादन है। भारत अब मेक इन इंडिया के तहत रक्षा उपकरणों का निर्माण कर रहा है और चाहता है कि मित्र देश भी इस उत्पादन श्रृंखला का हिस्सा बनें। दस्तावेज में कहा गया है कि भारत वैश्विक रक्षा निर्माण केंद्र बनने का लक्ष्य रखता है। इससे न केवल भारत की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा, बल्कि मित्र देशों को भी किफायती और भरोसेमंद हथियार प्रणालियां मिल सकेंगी। यह सहयोग एकतरफा नहीं, बल्कि दोनों पक्षों के लिए लाभकारी होगा।

मित्र देशों के साथ सहयोग का एक महत्वपूर्ण पहलू रक्षा उत्पादन है। भारत अब मेक इन इंडिया के तहत रक्षा उपकरणों का निर्माण कर रहा है और चाहता है कि मित्र देश भी इस उत्पादन श्रृंखला का हिस्सा बनें। दस्तावेज में कहा गया है कि भारत वैश्विक रक्षा निर्माण केंद्र बनने का लक्ष्य रखता है। इससे न केवल भारत की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा, बल्कि मित्र देशों को भी किफायती और भरोसेमंद हथियार प्रणालियां मिल सकेंगी। यह सहयोग एकतरफा नहीं, बल्कि दोनों पक्षों के लिए लाभकारी होगा।भारत की रक्षा कूटनीति में हिंद-प्रशांत क्षेत्र का विशेष महत्व है। इस क्षेत्र में शांति, स्थिरता और नौवहन की स्वतंत्रता बनाए रखना भारत के साथ-साथ पूरे विश्व के हित में है।

भारत की रक्षा कूटनीति में हिंद-प्रशांत क्षेत्र का विशेष महत्व है। इस क्षेत्र में शांति, स्थिरता और नौवहन की स्वतंत्रता बनाए रखना भारत के साथ-साथ पूरे विश्व के हित में है। भारत ने इस क्षेत्र में अपने मित्र देशों जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ क्वाड जैसे मंचों पर सहयोग बढ़ाया है। समुद्री अभ्यास मालाबार इसका उदाहरण है। रक्षा दस्तावेज में इस बात को रेखांकित किया गया है कि समुद्री सुरक्षा को सक्रिय वैश्विक सहयोग से जोड़ते हुए दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित की जाएगी।

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, यह दस्तावेज अगले दशक के लिए एक स्पष्ट और व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत शांति, स्थिरता और नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का मजबूत स्तंभ बना रहे। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जो इस दस्तावेज के महत्व को दर्शाता है।

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, रक्षा कूटनीति भारत की विदेश नीति का एक मुख्य स्तंभ है। रक्षा कूटनीति का अर्थ केवल हथियार खरीदना या बेचना नहीं है, बल्कि यह भरोसे का निर्माण है। यह दर्शाता है कि भारत एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में अपने मित्रों के साथ खड़ा है। चाहे वह मानवीय सहायता हो, आपदा राहत हो या समुद्री सुरक्षा, भारत हमेशा सहयोग के लिए तैयार रहा है।

आने वाले वर्षों में भारत का ध्यान तीन बातों पर रहेगा। पहला, रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना, दूसरा, बहुपक्षीय सुरक्षा सहयोग को प्रभावी बनाना और तीसरा, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के साथ मित्र देशों को जोड़ना। यह दस्तावेज भारत को वैश्विक रक्षा निर्माण और सुरक्षा सहयोग का केंद्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे न केवल भारत की सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि पूरे क्षेत्र में शांति और स्थिरता को भी बल मिलेगा। मित्र देशों के साथ सहयोग बढ़ाने की यह नीति केवल रक्षा सौदों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक सोच है, जो भारत को विश्व में एक विश्वसनीय और मजबूत भागीदार के रूप में स्थापित करती है। यह सहयोग परस्पर सम्मान और साझा हितों पर आधारित है और यही इसे दीर्घकालिक और टिकाऊ बनाता है।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

सड़क हादसों को रोकने स्पीड नहीं सुरक्षा चाहिए

देश में सड़क हादसे अब हादसे नहीं, बल्कि एक रोजमर्रा की त्रासदी बन गए हैं। लापरवाही धीरे-धीरे लोगों की जान लील रही है और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हमारे पास नियमों की कोई कमी नहीं है। गति सीमा तय है, हेलमेट और सीट बेल्ट अनिवार्य है, भारी वाहनों के लिए पार्किंग की जगह निर्धारित है और हाईवे किनारे अतिक्रमण रोकने के लिए स्पष्ट कानून है। फिर भी हादसे रुक नहीं रहे। इससे एक बात साफ होती है कि समस्या नियमों की कमी नहीं, बल्कि नियमों को मानने और मनवाने की इच्छाशक्ति की कमी है। जब कागज पर लिखे सख्त नियम सड़क पर कमजोर पड़ जाते हैं तो वे सुरक्षा कवच नहीं, बल्कि केवल औपचारिकता बनकर रह जाते हैं।

हाईवे पर मौत का सबसे बड़ा कारण है तेज रफ्तार और एक-दूसरे से आगे निकलने की अंधी होड़। निर्धारित गति सीमा को ताक पर रखकर वाहन दौड़ाना, बिना इंडिकेटर के अचानक लेन बदल लेना, गलत साइड से ओवरटेक करना और दो वाहनों के बीच मामूली सी जगह में कट मारना अब आम दृश्य है। चालक को लगता है कि 10 मिनट बचाने के लिए थोड़ी तेज चलाने में क्या हर्ज है। लेकिन यही 10 मिनट कई बार पूरे परिवार के लिए जिंदगी भर का पछतावा बन जाता है। तेज रफ्तार में गाड़ी पर नियंत्रण कम हो जाता है। एक छोटा सा गड्ढा, अचानक ब्रेक या टायर फटना भी बड़ी दुर्घटना में बदल सकता है।

इसमें केवल चालक की जान नहीं जाती, हाईवे पर चल रहा हर निर्दोष व्यक्ति उस एक लापरवाह चालक की सजा भुगतता है। एक बस चालक की गलती से 40 जिंदगियां खतरे में पड़ जाती हैं। एक ट्रक का गलत ओवरटेक सामने से आ रही छोटी कार को खत्म कर देता है। हाईवे कोई रेस ट्रैक नहीं है। गति सीमा वैज्ञानिक आधार पर तय होती है। सड़क के मोड़, ढलान और ट्रैफिक को देखकर उसे तोड़ना इंजीनियरिंग को चुनौती देना है।

हाईवे की दूसरी सबसे बड़ी समस्या सड़क किनारे अतिक्रमण और अवैध पार्किंग है। जिस सड़क पर गाड़ियों को 80-100 की गति से सुरक्षित चलना चाहिए, उसी के किनारे खतरे खड़े कर दिए गए हैं। बिना लाइट के खड़े ट्रक, सड़क तक फैले हुए ढाबे और दुकानें, अवैध बोर्ड और सड़क की जमीन पर बने निर्माण, ये सब यातायात की जगह और चालक की दृश्यता दोनों छीन लेते हैं।

रात के अंधेरे में बिना रिफ्लेक्टर और बिना पार्किंग लाइट के खड़ा एक भारी ट्रक पीछे से आ रहे चालक के लिए मौत की दीवार बन जाता है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में लगभग 30 प्रतिशत घातक हाईवे हादसे खड़े वाहनों से टकराने के कारण होते हैं।

हाईवे की दूसरी सबसे बड़ी समस्या सड़क किनारे अतिक्रमण और अवैध पार्किंग है। जिस सड़क पर गाड़ियों को 80-100 की गति से सुरक्षित चलना चाहिए, उसी के किनारे खतरे खड़े कर दिए गए हैं। बिना लाइट के खड़े ट्रक, सड़क तक फैले हुए ढाबे और दुकानें, अवैध बोर्ड और सड़क की जमीन पर बने निर्माण, ये सब यातायात की जगह और चालक की दृश्यता दोनों छीन लेते हैं। रात के अंधेरे में बिना रिफ्लेक्टर और बिना पार्किंग लाइट के खड़ा एक भारी ट्रक पीछे से आ रहे चालक के लिए मौत की दीवार बन जाता है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में लगभग 30 प्रतिशत घातक हाईवे हादसे खड़े वाहनों से टकराने के कारण होते हैं। प्रशासन को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि हर 50 किलोमीटर पर साफ-सुथरा विश्राम स्थल, रोशनी वाली पार्किंग, शौचालय और भोजन की सुविधा हो। जब तक विकल्प नहीं देंगे, तब तक केवल चालान से समस्या हल नहीं होगी।

ट्रक चालक थक जाते हैं और जहां जगह मिली, वहीं ट्रक खड़ा कर सो जाते हैं, क्योंकि सुरक्षित और निर्धारित ट्रक पार्किंग की भारी कमी है।

यहां सिर्फ चालक को दोष देना सही नहीं है। प्रशासन को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि हर 50 किलोमीटर पर साफ-सुथरा विश्राम स्थल, रोशनी वाली पार्किंग, शौचालय और भोजन की सुविधा हो। जब तक विकल्प नहीं देंगे, तब तक केवल चालान से समस्या हल नहीं होगी।

कैमरे लगे हैं, देखने वाला कोई नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में टोल प्लाजा पर कैमरे लगाकर हाईवे की निगरानी और अलग निगरानी कक्ष बनाने का सवाल उठाया है। यह एक बहुत जरूरी टिप्पणी है। आज लगभग हर टोल पर और कई हाईवे पर सीसीटीवी लगे हैं, लेकिन उन्हें देखने वाला, उनका डेटा एनालाइज करने वाला और तुरंत कार्रवाई करने वाला सिस्टम बहुत कमजोर है। कैमरा लगाना पहला कदम है, अंतिम नहीं। असली व्यवस्था वह है, जहां कैमरा 24 घंटे मॉनिटर हो, तेज रफ्तार वाहन की नंबर प्लेट ऑटोमैटिक कैप्चर हो और उसका ई-चालान सीधे उसके घर पहुंचे। यदि टोल प्लाजा पर ही यह पता चल जाए कि गाड़ी पिछले 100 किलोमीटर में औसत गति से तेज आई है तो वहीं उसे रोका और समझाया जा सकता है।

आज चालक जानता है कि 300 किलोमीटर तक कोई रोकने वाला नहीं है। वह 140 की स्पीड में चलता है और टोल से पहले स्पीड कम कर लेता है। अगर पूरे हाईवे पर स्पीड गन, इंटरसेप्टर और ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रीडर का जाल हो तो ही डर पैदा होगा। निगरानी ऐसी होनी चाहिए कि नियम तोड़ने वाला बच न सके और ड्यूटी में लापरवाही करने वाले अधिकारी की भी जवाबदेही तय हो।

हेलमेट और सीट बेल्ट चालान से बचने के लिए नहीं हैं। हेलमेट और सीट बेल्ट को लेकर लोगों की सोच अभी भी गलत है। बहुत से लोग इसे पुलिस से बचने का साधन समझते हैं, जीवन बचाने का नहीं। बाइक पर पीछे बैठा व्यक्ति अक्सर हेलमेट नहीं लगाता। कार में पीछे बैठे लोग सीट बेल्ट को जरूरी नहीं समझते।

सही हेलमेट से सिर में गंभीर चोट का खतरा 40 प्रतिशत तक कम हो जाता है और सीट बेल्ट से कार हादसे में मौत का खतरा 50 प्रतिशत तक कम हो जाता है। ये छोटे-छोटे कवच ही हमें बड़ा हादसा होने पर भी जिंदा बचा सकते हैं। इसे आदत बनाना होगा, बोझ नहीं।

हर साल प्रशासन ब्लैक स्पॉट यानी ऐसे स्थान, जहां बार-बार हादसे होते हैं, की सूची बनाता है। बोर्ड लगा दिया जाता है कि यह दुर्घटना संभावित क्षेत्र है, लेकिन क्या केवल बोर्ड लगा देने से जिम्मेदारी खत्म हो जाती है?

अगर एक ही मोड़ पर 10 हादसे हो रहे हैं तो वहां इंजीनियरिंग में कमी है। वहां क्या साइन बोर्ड छोटा है? क्या रात में लाइट नहीं है? क्या स्पीड ब्रेकर या रंबल स्ट्रिप की जरूरत है? क्या सड़क का ढलान गलत है? इन कारणों को खोजकर स्थायी रूप से ठीक करना ही असली समाधान है। ब्लैक स्पॉट सुधार के लिए अलग बजट, तय समय-सीमा और जिम्मेदार अधिकारी की जवाबदेही तय होनी चाहिए।

हाईवे पर सुरक्षा तीन चीजों से मिलकर बनती है - अच्छी आदत, अच्छी व्यवस्था और सख्त इच्छाशक्ति। जनता को अपनी आदत बदलनी होगी। तेज रफ्तार, गलत ओवरटेक, नशे में गाड़ी चलाना और हेलमेट-सीट बेल्ट की अनदेखी छोड़नी होगी। सरकार को अपनी व्यवस्था सुधारनी होगी - अच्छी डिजाइन वाली सड़कें, साफ संकेतक, पर्याप्त रोशनी, सुरक्षित पार्किंग और 24 घंटे कैमरा निगरानी।

नियमों का पालन जब सख्ती से होगा, तभी हाईवे सुरक्षित होंगे। याद रखिए, हाईवे पर आपकी एक छोटी सी गलती केवल आपका चालान नहीं कटवाती, बल्कि किसी परिवार की पूरी दुनिया उजाड़ सकती है। इसलिए स्पीड नहीं, सुरक्षा को चुनिए।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

84 महादेव दर्शन यात्रा

84 महादेव : 46वाँ अध्याय

वीरेश्वर महादेव : मूल नक्षत्र में जन्मे बालक और तप की विजय

डॉ. नवीन आनंद जोशी

उज्जैन के महाकाल वन में प्रतिष्ठित 84 महादेवों की परंपरा आस्था, पौराणिक आख्यानों और आध्यात्मिक संदेशों की अनुपम धरोहर है। इसी पावन परंपरा में वीरेश्वर महादेव की कथा त्याग, मातृ-ममता, तपस्या और शिव-कृपा की अद्भुत गाथा के रूप में सामने आती है।

पौराणिक मान्यता के अनुसार अमित्रजित नामक एक धर्मपरायण राजा हुए। देवर्षि नारद के निर्देश पर वे पाताल लोक की चंपावती नगरी पहुंचे। वहां उन्होंने कंकालकेतु नामक दानव का वध किया और विद्याधर-कन्या मलयगंधिनी को उसके बंधन से मुक्त कराया। इसके बाद दोनों का विवाह हुआ और वे अवंतिका लौटकर भगवान शिव की आराधना में लीन हो गए।

रानी मलयगंधिनी ने माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए अभीष्ट तृतीया का व्रत किया। उनकी कठोर साधना से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें शिवांश से युक्त एक तेजस्वी पुत्र का वरदान दिया। समय आने पर पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन राजदरबार के ज्योतिष-विद्वानों ने बताया कि उसका जन्म 'अभुक्त मूल' में हुआ है। उस समय प्रचलित मान्यताओं के प्रभाव में रानी ने राजा और पुत्र, दोनों के मंगल की कामना से नवजात शिशु को विकटा देवी के मंदिर में एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया।

कथा के अनुसार, कुछ योगिनियों की दृष्टि उस बालक पर पड़ी। उन्होंने उसे अपने संरक्षण में लिया और उसे शिक्षा, संस्कार तथा जीवनोपयोगी ज्ञान प्रदान किया। सोलह वर्ष बाद जब वह बालक अवंतिका लौटा, तब माता-पिता से उसका पुनर्मिलन अत्यंत भावुक था। वर्षों का विरह मां के स्नेहिल आलिंगन में जैसे पिघलकर बह गया।

इसके बाद राजकुमार ने राजसी वैभव के बजाय भगवान शिव की कठोर तपस्या को अपना जीवन-पथ चुना। उसकी साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ज्योतिर्मय स्वरूप में उसके सामने प्रकट हुए। राजकुमार ने सांसारिक सुख-सुविधाओं का वरदान नहीं मांगा, बल्कि भव-बन्धन से मुक्ति की कामना की। उसकी तपस्या से संबद्ध शिवलिंग आगे चलकर वीरेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

मूल नक्षत्र : भय नहीं, गहराई

पारंपरिक ज्योतिष में 'मूल' का अर्थ जड़ या मूल कारण माना जाता है। इसे गहन चिंतन, जिज्ञासा और सत्य की खोज से भी जोड़ा जाता है। हालांकि ये सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताएं हैं, वैज्ञानिक दृष्टि से जन्म नक्षत्र के आधार पर जीवन के परिणाम निर्धारित होने का कोई निर्णायक प्रमाण उपलब्ध नहीं है।

वीरेश्वर महादेव की कथा का संदेश अत्यंत स्पष्ट है—जन्म की परिस्थिति मनुष्य की शुरुआत हो सकती है, उसकी पहचान नहीं। उसकी वास्तविक पहचान संस्कार, कर्म, तपस्या, संकल्प और पुरुषार्थ से बनती है।

इसलिए मूल नक्षत्र को भय की दृष्टि से देखने के बजाय ज्ञान, आत्मविश्वास और आत्मविकास की संभावनाओं के रूप में देखना अधिक सार्थक है। यही वीरेश्वर महादेव की पावन गाथा का शाश्वत संदेश है।